

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
उत्तरी क्षेत्र/ दक्षिणी क्षेत्र/ पश्चिमी क्षेत्र/ पूर्वी क्षेत्र/ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र  
दिल्ली/ चेन्नई/ मुंबई/ कोलकाता/ गुवाहाटी

कार्यपालक निदेशक (आरसीडीयू/ एफआईयू)  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
नई दिल्ली

विमानपत्तन निदेशक  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
कोलकाता/ चेन्नई

निदेशक  
भारतीय विमानन अकादमी  
नई दिल्ली

महाप्रबंधक (सीआरएसडी/ ई व एम वर्कशॉप)  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
नई दिल्ली

प्रधानाचार्य  
सीएटीसी  
इलाहाबाद

### निगमित मानव संसाधन प्रबंधन परिपत्र संख्या : 46/2011

**विषय : सेवानिवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा सुविधाएं – चिरकालिक/ गंभीर रोग ।**

चिरकालिक रोग/ उपचार हेतु सेवानिवृत्त कार्मिकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए वार्षिक अधिकतम राशि के संबंध में निगमित मानव संसाधन प्रबंधन परिपत्र संख्या 15/2011 दिनांक 20-04-2011 का संदर्भ ग्रहण करें ।

2. उक्त योजना की समीक्षा के दौरान सभी मौजूदा अनुदेशों में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को निम्नलिखित गंभीर/ चिरकालिक रोगों के लिए 100% प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी :
  - i) उच्च रक्तचाप (सिस्टमेटिक)
  - ii) मधुमेह (डायबिटीज़)
  - iii) कैंसर
  - iv) अरक्तताजन्य/ आमवाती हृदय रोग
  - v) किडनी डायलिसिस
  - vi) हेपेटाइटिस बी
  - vii) एचआईवी
  - viii) पार्किंसंस/ सिज़ोफ्रेनिया
  - ix) थैलेसीमिया
  - x) ऑस्टियोपोरोसिस/ सभी प्रकार के अर्थराइटिस
3. शेष चिरकालिक रोगों के संबंध में निगमित मानव संसाधन प्रबंधन परिपत्र संख्या 15/2011 दिनांक 20-04-2011 में निहित प्रतिपूर्ति के मौजूदा प्रावधान जारी रहेंगे ।
4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

--हस्ता ०--

(के. के. झा)

सदस्य (मानव संसाधन)

आंतरिक वितरण :

- अध्यक्ष/ सदस्य : योजना/ एनएस/ प्रचालन/ वित्त/ मुख्य सतर्कता अधिकारी
- सभी विभागाध्यक्ष/ निगमित मुख्यालय में महाप्रबंधक/ प्रचालन कार्यालय/ नवीन कार्यालय परिसर
- महाप्रबंधक (आईटी) : भाविप्रा वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
- सभी अधिकारी संघ - एएओ (I)/ आईएएआईओए/ एसीओए (I)/ एटीसी गिल्ड (I)/ भाविप्रा इंजी. गिल्ड/ भाविप्रा एससी व एसटी कर्मचारी कल्याण संघ
- सूचनापट्ट